अंतिम तिथि :– 27 मई 2013
(दोपहर 02:30 बजे तक)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

निविदा प्रपत्र
कुल 07 पृष्ठ

विषय :– विभागीय पत्रिकाएं शिविरा (मासिक) एवं नया शिक्षक (त्रैमासिक)के मुद्रण तथा प्रेषण कार्य के लिए निविदा

संदर्भ :– निविदा सूचना क्रमांक शिविरा–माध्य/प्रकाशन/5677/2013–15 दिनांक17–4–13

महोदय,

निवेदन है कि प्रासंगिक सन्दर्भ एवं निविदा विज्ञप्ति के क्रम में विभागीय पत्रिकाओं **शिविरा (मासिक)** एवं **नया शिक्षक (त्रैमासिक)**के मुद्रण एवं प्रेषण कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत/संलग्न हैं :–

1. निविदा शुल्क रु. 500/– (पाँच सौ रुपये मात्र) रसीद संख्या.......................दिनांक...................................... द्वारा जमा करा दी गई है। /बैंक ड्राफ्ट नं0.................................दिनांक......................बैंक.................................. ....राशि 500/–रु. (पाँच सौ रुपये मात्र) संलग्न है ।
2. फाईनेंशिएल बिड का लिफाफा
3. टेक्नीकल बिड का लिफाफा, जिसमें निम्न कागजात है :–
   (1) टेक्नीकल बिड का प्रपत्र।
   (2) धरोहर राशि...................... रूपये नगदःरसीद संख्या.....................दिनांक................../डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.......................दिनांक...................... बैंक का नाम...
   (3) (क) प्रेस का पंजीयन प्रमाण–पत्र ....दिनांक......................संलग्न संख्या................
   (ख) प्रकाशक का पंजीयन प्रमाण–पत्र ....दिनांक......................संलग्न संख्या................
   (4) बिक्रीकर/वैट पंजीकरण प्रमाण–पत्र ....दिनांक......................संलग्न संख्या................
   (5) नवीनतम बिक्रीकर शोधन प्रमाण–पत्र ....दिनांक......................संलग्न संख्या................
   (6) उद्योग विभाग द्वारा जारी लघु उद्योग इकाई संबंधी पंजीयन प्रमाण–पत्र ....दिनांक...........................संलग्न संख्या................
   (7) सैम्पल पेपर यथा कवर हेतु आर्ट पेपर तथा टैक्स्ट के लिए सफेद एवं अतिरिक्त कलर्ड पेपर की 3–3 शीटें (A-4 साईज) मय हस्ताक्षर एवं मोहर निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

	कवर पेपर	टैक्स्ट पेपर
विभागीय पत्रिकाएं शिविरा(मासिक)	आर्ट पेपर (110GSM) उत्पादक का नाम.......................................	मैपलिथो (70GSM) उत्पादक का नाम..................................... ....
नया शिक्षक (त्रैमासिक)	आर्ट पेपर 170 (GSM) उत्पादक का नाम.......................................	मैपलिथो (70GSM) उत्पादक का नाम..................................... ....

संलग्न सं0...................

   (8) (1) पात्रता...
   (2) अनुभव..

4. फर्म द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकें/पत्रिकाएं नमूने के रूप में संलग्न है–
   (1)
   (2)
   (3)
   (4)
   (5)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

स्थान...
दिनांक :...

नाम...
फर्म का नाम...
फर्म की सील

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विभागीय पत्रिका **शिविरा (मासिक)** एवं **नया शिक्षक(त्रैमासिक)** के मुद्रण तथा प्रेषण कार्य के लिए निविदा

टेक्नीकल बिड

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

निविदा सूचना का सन्दर्भ:–कमांक: शिविरा–माध्य/प्रकाशन/5677/2013–15 दि 17–04–2013

अन्तिम तिथि :27 मई 2013
(दोपहर 02:30 बजे तक)

निविदादाता से संबंधित सूचना

1. फर्म का नाम : ....
2. फर्म के स्वत्व अधिकारी का नाम : .... मोबाइल.नं0..............................
3. फर्म का पता : ....
4. दूरभाष नं. : कार्यालय .... घर ....
5. फैक्स नं : ....E-mail ID :...

कार्य

मुद्रण एवं प्रेषण कार्य के अपेक्षित **मापदण्ड** निम्नानुसार होंगे :–

क.सं.	कार्य/सामग्री	शिविरा पत्रिका (मासिक)	नया शिक्षक पत्रिका (त्रैमासिक)
1	अनुमानित संख्या–	25000	9000
2	पृष्ठ संख्या (सामान्यतया) *(बेस प्राइस हेतु)*	48 पृष्ठ टैक्सट + 4 पृष्ठ कवर (विदाउट लैमिनेटेड)	96 पृष्ठ टैक्सट + 4 पृष्ठ कवर (विदाउट लैमिनेटेड)
3	पत्रिका का साइज	23 X36"/8तैयार साइज 11 X 8.5"	19 X 25"/8 –तैयार साइज9 X 6"
4	कवर पेपर (4 कलर मुद्रण) फोटो स्केनिंग (पोजिटिव द्वारा)	110 GSM आर्ट पेपर	170 GSM आर्ट पेपर
5	टेक्स्ट पेपर (1 कलर मुद्रण)	70GSM (मैपलिथो)	70 GSM (मैपलिथो)
6	कवर लैमिनेशन	गरवारे फिल्म/BOPT फिल्म (स्टैण्डर्ड)	गरवारे फिल्म/BOPT फिल्म (स्टैण्डर्ड)
7	प्रिन्टिग	हिन्दी व अंग्रेजी भाषा (वेब/ऑफसेट व पी.एस. प्लेट द्वारा)	हिन्दी व अंग्रेजी भाषा (वेब/ऑफसेट व पी.एस. प्लेट द्वारा)
8	फोंट साइज (रनिंग मैटर हेतु)	10–13	10–13
9	बाइडिंग	सेण्टर स्टिचिंग (22 गेज तार + 2 सेंटर स्टिच)	जुज बाइन्डिग
10	प्रेषण	नमूने के अनुसार पत्रिका के आकार के पूर्ण रेपर लगाने, पता चिपकाने एवं डाक टिकट चिपकाकर डाकघर पहुँचाने का कार्य	नमूने के अनुसार पत्रिका के आकार के पूर्ण रेपर लगाने, पता चिपकाने एवं डाक टिकट चिपकाकर डाकघर पहुँचाने का कार्य

पात्रता

1. यांत्रिक संसाधन –

क.सं.	उपकरण का नाम	किस्म	उपकरणों की संख्या
1	वेब–1 / ऑटोमेटिक ऑफसेट मुद्रण मशीन–2 (23" x 36") -1 + (19" x 25") -1		
2	कम्प्यूटर . 3		
3	लेजर प्रिण्टर . 2		
4	स्कैनर . 1		
5	एक्सपोजर . 1		
6	पेपर कटिंग मशीन . 1		
7	स्टिचिंग मशीन . 2		

2. मानव संसाधन –

क.सं.	कार्य का नाम	न्यूनतम संख्या	उपलब्ध संख्या
1	टाइपिंग / कम्पोजिंग	3	
2	प्रूफ रीडिंग	2	
3	एडिटिंग	2	
4	डिजाइनिंग	1	
5	बाइंडिंग	4	
6	डाक द्वारा प्रेषण	4	

3. वित्तीय संसाधन –

क0सं0	वित्तीय स्थिति	न्यूनतम अपेक्षित	वास्तविक स्थिति
1	नेट वर्थ	25 लाख रुपये	
2	वार्षिक टर्न ओवर .	25 लाख रुपये	

अनुभव –

(1) मुद्रण / प्रकाशन में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संलग्न संख्या..........

(2) जिला कलेक्टर से जारी घोषणा पत्र की प्रति संलग्न करें। संलग्न संख्या..........

(3) कम से कम 50 पुस्तकें / पत्रिकाएं मुद्रित करने का अनुभव होना चाहिए। पुस्तक / पत्रिका की निम्न प्रपत्र में सूची संलग्न करें :–

क.सं.	पुस्तक / पत्रिका का नाम	मुद्रण संख्या	प्रकाशन वर्ष

सूची संलग्न संख्या..................

निविदा की शर्तें

(निविदादाता को निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व निविदा सम्बन्धी समस्त शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।)

धरोहर राशि एवं प्रतिभूति निक्षेप

(1) निविदा के साथ धरोहर राशि अनुमानित मूल्य की 2 प्रतिशत की दर से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पक्ष में नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि यथाशीघ्र लौटा दी जावेगी जिस पर ब्याज नहीं दिया जायेगा । सफल निविदादाता की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी।

(3) सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में करार निष्पादित करना होगा और निविदा राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) के रूप में जमा करवाना होगा। प्रतिभूति निक्षेप की राशि समस्त संविदा के पूर्ण होने की तारीख से दो माह पश्चात् लौटा दी जायेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। अनुबन्ध करने तथा उस पर स्टाम्प आदि के खर्चे का संदाय निविदादाता करेगा। यदि निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा कराने या विहित कालावधि में करार निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों और शर्तों का भंग होना माना जावेगा तथा प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी। निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने पर प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा पूर्णतया या अंशतः जब्त कर ली जाएगी, इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा । केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रमों से प्रतिभूति राशि जमा कराने की अपेक्षा नहीं की जाती है । लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत फर्मों को प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट देय है।

(4) धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर विप्रेषण व्यय (रेमिटेशंज चार्जेज) निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

(5) निविदादाता को सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम बिक्रीकर/वेट पंजीकरण संख्या तथा बिक्रीकर /वैट शोधन प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

(6) मुद्रणालय का सत्यापन व निरीक्षण विभाग द्वारा करवाया जा सकता है। निरीक्षण में सुविधाओं और साधनों के प्रमाण–पत्रों संबंधी सूचना असत्य पायी जाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को भविष्य के लिए निविदा से वंचित किया जा सकेगा।

(7) विभाग कभी भी प्रयुक्त किये जाने वाले कागज एवं प्लेट की जांच प्रयोगशाला से करा सकता है। जांच में किसी भी प्रकार की निर्धारित विशिष्टताओं में कमी पायी जाने पर जांच के लिए भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि बिल में से वसूल की जायेगी। जांच में लगने वाला व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।

(8) **शिविरा** पत्रिका में सार संक्षेप, आदेश, परिपत्र तथा **नया शिक्षक** पत्रिका में दस्तावेज आदि भी छापे जा सकेंगे। समस्त ऐसे अतिरिक्त कार्य करवाने पर पत्रिका के नियमित प्रकाशन एवं मुद्रण की निर्धारित तिथि पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अर्थात पत्रिका के नियमित प्रकाशन एवं वितरण आदि कार्यों के साथ साथ अन्य निर्धारित अतिरिक्त कार्य भी यथा समय पर करने होंगे ।

(9) भविष्य में कागज की दरों आदि में वृद्धि होने पर विभाग द्वारा अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।

(10) निविदादाता को तीन माह तक कागज की अग्रिम व्यवस्था बनाये रखनी होगी। मशीन संबंधी दोष तथा कागज उपलब्ध नहीं होने जैसे कारणों से प्रेषण की निर्धारित तिथि में वृद्धि संभव नहीं हो सकेगी।

(11) **शिविरा** मासिक पत्रिका के सामान्यतया वर्ष में 11 अंक ही प्रकाशित होंगे। ग्रीष्मावकाश के कारण जून माह के अंक का प्रकाशन नहीं होता। विभाग अपरिहार्य स्थितियों में इस अवधि में भी अंक का प्रकाशन कर सकता है।

(12) विभाग द्वारा इन पत्रिकाओं के विशेषांक का भी प्रकाशन किया जा सकता है ।

कम्पोजिंग–

(1) पाण्डुलिपि एक साथ न दी जाकर टुकड़ों में दी जायेगी जो हस्तलिखित भी होगी। कम्पोजिंग 3 दिन में प्रूफ रीडिंग कर देनी होगी। हिन्दी व अंग्रेजी की कम्पोजिंग आवश्यकतानुसार अलग–अलग पृष्ठों पर की जाएंगी।

(2) प्रूफ रीडिंग का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। मुद्रण में वर्तनी व प्रिंटिंग की त्रुटि पाए जाने पर बिल/प्रतिभूति राशि में से कटौती की जाएगी और अधिक त्रुटि होने पर भुगतान रोकते हुए निविदा निरस्त कर दी जाएगी ।

मुद्रण

(1) आवरण पृष्ठ एक अथवा अधिक रंगों में वरिष्ठ सम्पादक के निर्देश के अनुसार मुद्रित किये जाएगे। मुद्रण कार्य में उत्तम कोटि की मानक स्याही का उपयोग किया जायेगा। डिजाइन के अनुसार मुखावरण व अंतिमावरण मुद्रण से पूर्व रंग योजना व डिजाइन के चयन के लिए नमूने के बतौर, कम से कम अलग–अलग तीन शेड/प्रकार के प्रूफ देने होंगे। मुद्रक को तीन माह के लिए अग्रिम रूप से कवर डिजाइन अनुमोदनार्थ प्रेषित करना होगा। कम्पोजिंग, मुद्रण और बाइंडिंग के प्रत्येक चरण पर वरिष्ठ सम्पादक के निर्देशानुसार सुन्दरता का पूर्ण ध्यान रखना जरूरी होगा। मुखावरण, आवरण पृष्ठों तथा भीतर के टेक्स्ट/आर्ट पृष्ठों पर छपने वाले फोटोग्राफ का पूर्णतः स्पष्ट व गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक होगा । फोटो के स्रोत इंटरनेट, स्कैन्ड, सॉफ्टकॉपी सीडी आदि भी हो सकेंगे ।

(2) मुद्रण गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर की किन्हीं तीन सर्वाधिक विक्रय वाली पत्रिकाओं से न्यूनतर नहीं होनी चाहिए।

(3) कवर पेज यथावश्यक लैमिनेटेड या विदाउट लैमिनेटेड या दोनों रखा जा सकेगा। सामान्यतया 300 प्रतियां लैमिनेटेड तथा शेष विदाउट लैमिनेटेड ली जाती है, किन्तु इसमें संख्यात्मक परिवर्तन किया जा सकेगा।

(4) आदेश, परिपत्र, नियम आदि को पृथक से रंगीन कागज पर भी मुद्रित करने के आदेश दिये जा सकेंगे। सामान्यतया इनसे सम्बन्धित पृष्ठ बीच में रखे जाएंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे पत्रिका से अलग भी किया जा सके ।

(5) पत्रिका में प्रकाशित कुछ सूचनाओं या तालिकाओं को दण्ड, आरेख या वृत्तचित्र के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता के पास उपयुक्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और डिजाइनर भी आवश्यक रूप से होने चाहिए।

(6) मुद्रण संख्या अनुमानित है, जिसमें कमी या वृद्धि की जा सकेगी। मुद्रण आदेश के अनुसार ही प्रतियां छापी जानी होगी। यदि कम प्रतियां मुद्रित की गयी तो कम प्राप्त पत्रिकाओं की पूर्ण कीमत अंकित मूल्य के आधार पर निविदादाता के बिल से वसूल की जायेगी। विभाग द्वारा आदेशित प्रतियां प्राप्त होने पर ही आदेश को पूर्ण होना स्वीकार किया जावेगा।

(7) मुद्रण में वर्तनी, प्रिन्टिंग, बाइडिंग आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि और निविदानुसार स्वीकृत कागज के अलावा अन्य कागज प्रयुक्त करने पर दण्ड की राशि, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा निर्धारित की जाकर बिल/प्रतिभूति राशि में से कटौती कर वसूली की जायेगी।

(8) मुद्रण आदेश में वृद्धि पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में प्रतिमाह नियत समय पर विभाग को पत्रिका प्रेषण की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। मुद्रण आदेश, प्रेषण संख्या बढ़ने की स्थिति में निविदा की दरें एवं अन्य शर्ते अप्रभावित रहेंगी।

(9) मुद्रण गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग मशीन पर छपने वाले वास्तविक मेटर के इम्प्रेशन का प्रूफ प्रस्तुत कर उसका अनुमोदन करवाये जाने का निर्देश दे सकेगा जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगा।

प्रेषण –

(1) शिविरा एवं नया शिक्षक पत्रिकाओं के पूर्ण आकार के रैपर उन पर लगाए जाएंगे,जिनका नमूना कार्यालय में देखा जा सकता है।पत्रिका का प्रेषण डाक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि में ही किया जाता है। अवकाश की स्थिति में एक दिन पूर्व प्रेषण करना होगा। अतः पत्रिका की समस्त छपाई और बाइडिंग प्रेषण तिथि से चार दिन पूर्व समाप्त हो जानी चाहिए जिससे रैपिंग, एड्रेसिंग व पैकिंग आदि करके उसके जिलेवार बंडल बनाने का काम समय पर हो सके तथा विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रेषण से एक दिन पूर्व उनका निरीक्षण किया जा सके। निर्धारित तिथि को प्रेषण न किये जाने की स्थिति में निर्धारित रियायती दर के अतिरिक्त डाक व्यय का समस्त प्रभार/व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा फर्म के बिल में से निम्नानुसार लिक्वीडेटेड डेमेजेज के रूप में कटौती की जायेगी:–

(1) 3 दिन तक विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत,
(2) 5 दिन तक विलम्ब होने पर 5 प्रतिशत
(3) 8 दिन तक विलम्ब होने पर 7.5 प्रतिशत
(4) 10 दिन तथा अधिक विलम्ब होने पर 10 प्रतिशत ।

(2) शिविरा पत्रिका ऑन–लाइन पत्रिका भी है । अतः पत्रिका को ऑन–लाइन किये जाने संबंधी फोर्मेट में सी.डी. तैयार कर निविदादाता को प्रेषण से पूर्व उपलब्ध करवानी होगी । इस हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायगा । यह सीडी. डाक प्रेषण से पहले उपलब्ध करवानी होगी । (3) डाक टिकट विभाग द्वारा प्रदान किये जायेंगे। विभाग को डाक विभाग द्वारा डाक टिकट चिपकाने से छूट मिलने पर मुद्रक को केवल एड्रेस मुद्रित करने व चिपकाने का कार्य करना होगा। तदनुरूप डाक टिकट चिपकाने का व्यय एक सौ रुपये प्रति हजार मानते हुए कटौती की जाएगी। एड्रेस विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें शुद्धता का दायित्व निविदादाता का होगा। पत्रिका को निर्धारित डाकघर तक जिलेवार बण्डलों की पेकिंग कर सुरक्षित रूप से पहुँचाने का कार्य निविदादाता का होगा ।

विलम्ब –

(1) यदि निविदादाता मुद्रण कार्य समय के भीतर सम्पादित नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिये बिना निविदादाता की जोखिम पर उक्त कार्य या उसके किसी भाग को, जिसे निविदादाता ने सम्पादित नहीं किया है, अन्य कहीं से भी सम्पादित करा ले। उक्त कारणों से विभाग को होने वाले व्यय या नुकसान का दायित्व निविदादाता का होगा। ऐसी राशि की वसूली निविदादाता को सरकार के साथ की गई या अन्य किसी संविदा के अधीन राशि में से वसूल की जा सकेगी । बिल में वसूली सम्भव नहीं होने पर व्यय या नुकसान की भरपाई एक माह में नहीं करने पर वसूली राजस्थान, पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट, 1952 के अधीन या तत्समय प्रवृत अन्य किसी विधि से/के अधीन की जायेगी।

(2) निविदा/कार्य आदेश को किसी भी समय निविदादाता को बिना सूचना दिये निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भुगतान –

(1) प्रत्येक बिल पर प्रमाण–पत्र अभिलिखित किया जायेगा कि "प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय कय समिति द्वारा स्वीकृत पेपर ही उपयोग में लिया गया है।"

(2) विभाग द्वारा प्रदत्त पाण्डुलिपि, चित्र, फोटो आदि मुद्रण के तत्काल पश्चात् विभाग को लौटाने होंगे। इनके अभाव में उस माह के बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(3) बिलों की राशि का भुगतान प्राप्त होने के एक माह में कर देने के लिए विभाग अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेगा। किन्तु किसी विशेष परिस्थितियों में यदि, एक माह में भुगतान नहीं होता है तो विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में भी निविदादाता द्वारा पत्रिका का मुद्रण नियमित रखा जायेगा।

(4) बिल में से नियमानुसार आयकर एवं अन्य राजकीय देयता (यदि कोई हो) की कटौती की जाएगी।

(5) प्रत्येक बिल के साथ डाक से प्रेषित पत्रिकाओं की संख्या का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा ।

(6) अनुबन्ध में किसी बिन्दु पर यदि कोई विवाद होता है तो वह विवादित बिन्दु के निर्णयार्थ इन शर्तों में वर्णित प्राधिकारी को ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। समस्त कानूनी कार्यवाही, यदि किसी भी पक्ष (सरकार या निविदाकार) द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े तो बीकानेर में स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ की जा सकेगी, अन्य किसी स्थान पर नहीं अर्थात् न्यायिक क्षेत्र बीकानेर ही रहेगा।

(7) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि मुद्रणालय में उपस्थित होकर पत्रिका मुद्रण के काम में ली जा रही सामग्री की जांच कर सकेगा।

निरसन –यदि संविदा में वर्णित कोई भी कार्य निम्न स्तर (सब स्टैण्डर्ड) का पाया जाता है तो विभाग स्वविवेक से इसे स्वीकार/ अस्वीकार/शास्ति आरोपित की जा सकेगी ।

निविदा की अन्य शर्ते

(1) निविदा शुल्क की राशि 500/– रुपये (पाँच सौ रुपये) नकद रसीद संख्या...................... दिनांक................... द्वारा जमा करा दी गई है/इस राशि का बैंक ड्राफ्ट नं0......................................दिनांक..................बैंक..................... ....संलग्न है ।

(2) निविदा की अवधि **जुलाई, 2013 से जून 2015** तक है । परन्तु इस अवधि को राज्यहित में घटाने/बढ़ाने का अधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राज0, बीकानेर को होगा। विभाग अथवा विभागीय समिति कार्य निष्पादन व गुणवत्ता की समीक्षा कर अवधि घटाने या बढ़ाने का निर्णय ले सकेगी, जो निविदादाता को स्वीकार्य होगी।

(3) निविदा मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी। पहला लिफाफा टेक्नीकल बिड व दूसरा लिफाफा फाईनेंशिएल बिड कहलायेगा। टेक्नीकल बिड में टेक्नीकल बिड प्रपत्र, धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद राशि जमा कराने की रसीद और अन्य वांछित समस्त प्रमाण–पत्र होंगे। फाईनेंशिएल बिड में केवल दरें होंगी। फाईनेंशिएल बिड का लिफाफा उसी निविदादाता का खोला जायेगा, जो तकनीकी दृष्टि से समिति द्वारा पूर्णतया सफल माना जावेगा।

(4) निविदादाता द्वारा दी गई दरें फाईनेंशिएल बिड को खोलने की तिथि से 90 दिवस तक वैध होगी। विभाग द्वारा विशेष परिस्थिति में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसे निविदादाता द्वारा माना जाना आवश्यक होगा।

(5) मुद्रण/प्रकाशन एवं इसके सहायक कार्य हेतु पंजीकृत/अनुमोदित फर्म जो वास्तव में मुद्रण/प्रकाशन का कार्य कर रही हों, वे ही पंजीयन प्रमाण–पत्र सहित निविदा प्रस्तुत कर सकती हैं ।

(6) निर्धारित तिथि तथा समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

(7) तार द्वारा प्रेषित निविदा मान्य नहीं होगी।

(8) निविदा शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं होने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मान ली जायेगी।

(9) विभागीय क्रय समिति निविदा शर्तों में आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकती है, निविदादाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

(10) शर्तों से सम्बन्धित या किसी तकनीकी बिन्दु विषयक कोई शंका/संदेह हो तो उसका समाधान निविदा प्रेषित करने से पूर्व कर लिया जाना चाहिए। निविदा प्रस्तुत करने के बाद उठाए गए किसी भी बिन्दु पर विभागीय क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(11) विभाग न्यूनतम दरों की निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है । किसी भी निविदा या उसके किसी भी अंश को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है।

(12) दरों में परिवर्तन एवं कांट–छांट नहीं की जानी चाहिए। दरों को अंकों एवं शब्दों में अंकित किया जाना चाहिए। कांट–छांट एवं उपरिलेखन आदि कोई हो तो उन पर निविदादाता द्वारा लघु हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(13) निविदा पेन अथवा बॉल पॉईन्ट पेन से भरी जानी चाहिए। कार्बन पेंसिल से भरी हुई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(14) निविदादाता को करार की शर्तों और प्रतिबन्धों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(15) पत्रिका के नियमित अंकों के मुद्रण के अतिरिक्त विभाग के इसी प्रकार के अन्य मुद्रण कार्य मार्गदर्शिका, संदर्शिका, नियमावली, स्मारिका, प्रशस्ति–पुस्तिका, पुस्तक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, फार्म आदि मुद्रित करवाये जाने वाले कार्यों के लिए यदि 52 पृष्ठों से कम का मुद्रण होने पर बेसप्राईस की अनुपातिक दर से भुगतान देय होगा । प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त कार्य करवाने का पत्रिका के नियमित प्रकाशन मुद्रण एवं प्रेषण का निर्धारित तिथि पर असर नहीं होगा, अर्थात पत्रिका के नियमित प्रकाशन एवं वितरण आदि कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी निर्धारित तिथि तक संपादित करने होंगे । निविदा के अनुसार स्वीकृत दरों पर ही भुगतान देय होगा।

(16) पत्रिका के नियमित अंकों के मुद्रण में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो, ऐसे किसी भी परिवर्तन का आधार बेस प्राइस ही होगा ।

घोषणा :–**मैंने उपर्युक्त शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं तथा मुझे सम्यक् रूप से स्वीकार्य है।**
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के निर्णय मुझे मान्य होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म का नाम एवं सील

स्थानः–..
दिनांकः–..
नाम.................................

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विभागीय पत्रिका शिविरा (मासिक)एवं नया शिक्षक(त्रैमासिक) के मुद्रण तथा प्रेषण कार्य के लिए निविदा

फाईनेंशिएल बिड

Fianancial Bid

निदेशक ,

माध्यमिक शिक्षा, राज0,बीकानेर।

निविदा सूचना का सन्दर्भः–कमांकः शिविरा–माध्य/प्रकाशन/5677/2013–15 दि 17–04–2013

(अन्तिम तिथि : 27 मई 2013, दोपहर 2:30 बजे तक)

निविदादाता से संबंधित सूचना

1. फर्म का नाम :..
2. फर्म के स्वत्व अधिकारी का नाम : ....मोबाइल नं0...
3. फर्म का पता : ....
4. दूरभाष नं. कार्यालयः(STD Code) .... घर...
5. फैक्स नं...E-mail ID...

1\. : **विभागीय पत्रिका शिविरा (मासिक) हेतु दर प्रति कॉपी**

विवरण		दर अंकों में	दर शब्दों में
बेस प्राइस 48 पृष्ठ टैक्सट + 4 पृष्ठ कवर (विदाउट लैमिनेटेड)			
अभिवृद्धित प्राइस (प्रति 8 पृष्ठ एक इकाईमानते हुए)टैक्सट मेटर हेतु	1.सफेद कागज दर		
	2.रंगीन कागज दर		
कवर लैमिनेशन – एक प्रति			
अतिरिक्त 4 कलर्ड पृष्ठ (आर्ट पेपर 90 GSM) (प्रति 4 पृष्ठ 1 इकाई मानते हुए)			
अतिरिक्त ग्रेस्केल/ब्लैक एण्ड व्हाइट पृष्ठ (आर्ट पेपर 90 GSM) (प्रति 4 पृष्ठ 1 इकाई मानते हुए)			

2.: **विभागीय पत्रिका नया शिक्षक (त्रैमासिक) हेतु दर प्रति कॉपी**

विवरण		दर अंकों में	दर शब्दों में
बेस प्राइस 96 पृष्ठ टैक्सट + 4 पृष्ठ कवर (विदाउट लैमिनेटेड)			
अभिवृद्धित प्राइस (प्रति 8 पृष्ठ एक इकाईमानते हुए)टैक्सट मेटर हेतु	1.सफेद कागज दर		
	2.रंगीन कागज दर		
कवर लैमिनेशन – एक प्रति			
अतिरिक्त 4 कलर्ड पृष्ठ (आर्ट पेपर 90 GSM) (प्रति 4 पृष्ठ 1 इकाई मानते हुए)			
अतिरिक्त ग्रेस्केल/ब्लैक एण्ड व्हाइट पृष्ठ (आर्ट पेपर 90 GSM) (प्रति 4 पृष्ठ 1 इकाई मानते हुए)			

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

स्थान.. नाम..

दिनांक :... फर्म का नाम..

फर्म की सील